

Speed post /त्रिव डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer-
305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOGEN/1/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 13/12/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
झामरकोटडा राक फास्फेट खान,
मेसर्स आर एस एम एम लिमिटेड,
पोस्ट: झामरकोटडा खदान, तहसील-तहसील-गिर्वा
जिला: उदयपुर (राजस्थान),
पिन: 313015.

(e-mail: minephos.rsmml@rajasthan.gov.in)

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी झामरकोटडा राक फास्फेट खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 22.11.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation			
11 (1)	(i) Development			
	Proposal		Actual	
	Western Pit (A-Ext, AB Blocks) in between the grid line 2970E to 7030E & 3750 N to 5980N from 530-520 to 390-400mRL		Western pit not developed as per the proposal	
	Central Pit (CDE Blocks) in between the grid line 2970E to 7030E & 3750N to 5980N from 530-520 to 390-400 mRL		Central pit not developed as per the proposal	
	It shows that the development has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total development also.			
	(ii) Waste/OB Generation			
	Propossal (m3)		Actual(m3)	
	10480769.23		4349030	
	The waste/OB generation from mine is also less than the proposal.			
	(iii) Plantation			
Location	Proposal		Actual	
	No. of Plant	Area (ha)	No. of Plant	Area (ha)
Eastern Pit OB Dump	5000	5.0	0	0
Afforestation on Dump	3000	3.0	1000	1.0
Plantation has not been carried out as per approved proposal				
(iv) Parapet/Retaining Wall				

I/21833/2023

Location	Proposal	Actual
Construction of Parapet/Retaining Wall at the toe of dumps	400m	0
Parapet/Retaining Wall at the toe of dumps has not been made		

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो